

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0082 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/05/2024 18:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	379
5	भा दं सं 1860	409
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	467
8	भा दं सं 1860	468
9	भा दं सं 1860	471
10	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2005 Date To (दिनांक तक): 31/12/2010
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/05/2024 Time (समय): 15:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 14/05/2024 18:24:24 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 120 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM PANCHAYAT, SANDWA, BIDASAR CHURU

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SABBIR KHAN

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 12/02/1974 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9413905544

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DAULAT KANWAR		पति:SURENDRA SINGH	1. SANDWA,BIDASAR CHURU,CHURU,RAJASTHAN,IN
2	RAMNARAYAN		पिता:BIRMARAM JAT	1. BHOMPURA,BIDASAR CHURU,CHURU,RAJASTHAN,IN DIA
3	PRABHU RAM		पिता:PANNARAM MALI	1. SANDWA,BIDASAR CHURU,CHURU,RAJASTHAN,IN
4	DEV RAWAL SINGH		पिता:RATAN SINGH RAJPUT	1. SANDWA,BIDASAR CHURU,CHURU,RAJASTHAN,IN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,15,981.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,15,981.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जांच संख्या 189/2013 की जांच से पाया गया कि श्रीमती दौलत कंवर वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरु में सरपंच पद पर कार्यरत रही है। सरपंच द्वारा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विधालय साण्डवा के पास एक पक्के जोहड़ के प्रोटेक्शन वाल 240 मीटर का निर्माण कार्य दिनांक 14.08.2006 से 11.11.2006 तक एसजीआरवाई योजना के तहत राशि 2,16,000 रुपये स्वीकृत कर उक्त निर्माण कार्य पर 2,15,991 रुपये का कार्य करना दर्शाया जिसमें श्रम मद में नगद 48,586 रुपये, गेहू 34.48 क्विंटल की राशि 16,205 रुपये व सामग्री मद में 1,51,200 रुपये व्यय होना दर्शाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा इस जोहड़ के पायतन निर्माण हेतु एसएफसी तृतीय योजना के तहत दो लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर श्रम मद में नगद 49,990 रुपये व सामग्री मद में 1,50,000 रुपये कुल 1,99,990 रुपये व्यय दर्शा कर दोनों कार्यों की राशि 4,15,981 रुपये का गबन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई। जबकि इस जोहड़ के बाहरी पायतन के क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के सरकारी क्वार्टर व चारदिवारी बनी हुई थी जिनको श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ने स्वयं के टैरक्टर पर लगी जेसीबी से तुड़वाकर उन ईंटो को प्रोटेक्शन वाल निर्माण में काम में लिया गया। उक्त कार्य में सरपंच के परिवार के श्री देवरावल सिंह ने सहयोग किया। चारदिवारी निर्माण में शेष ईंटें श्री हरीराम नायक के ईंट भट्टे से घटिया स्तर की क्रय कर उनसे करवाया गया । उक्त क्वार्टर को तोड़ने पर निकली पट्टियां, दरवाजे, झरोखे व खिड़की आदि श्री रामनारायण जाट व श्री प्रभूराम माली ले

गये। उक्त चारदिवारी का हल्के स्तर का चूना एवं मिट्टी ज्यादा मिलाकर निर्माण करवाया गया जिसके कारण प्रोटेक्शन वॉल व जोहड पायतन कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गये। दोनों कार्यों में लगे राशि व्यय के प्रमाण पत्र सरपंच श्रीमती दौलत कंवर के निजी व्यक्तियों के नाम से फर्जी जारी किये गये है जो एक ही व्यक्ति के हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से जारी है। जिन व्यक्तियों के नाम सामग्री बाउचर दर्शाये गये है वे व्यक्ति ना तो बजरी, कली, ग्रीट, ईटे या अन्य सामग्री बेचने का काम करते है ना ही इनकी कोई फर्म है। उक्त दोनों कार्यों में सरपंच द्वारा श्रमिकों के नाम से संधारित मस्टररोल में स्कूल में पढने वाले नाबालिग बच्चों के नाम लिख कर मस्टररोल पर फर्जी अगुंठे व हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू ने अपने पद का दुरुपयोग कर श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा, श्री सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन उप सरपंच ग्रा0पं0 साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा से आपस में मिलीभगत कर उक्त दोनों कार्यों के पेटे कुल 4,15,981 रूपये के फर्जी बिल बाउचर बनाकर राशि उठाकर राज्य सरकार अनुचित हानि एवं स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 13 (1) सी,डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 379, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह तत्का0 उप सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा की दिनांक 24.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है। अतः श्रीमती दौलत कंवर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू, श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जांच संख्या 189/2013 की जांच से पाया गया कि श्रीमती दौलत कंवर वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू में सरपंच पद पर कार्यरत रही है। सरपंच द्वारा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विधालय साण्डवा के पास एक पक्के जोहड के प्रोटेक्शन वॉल 240 मीटर का निर्माण कार्य दिनांक 14.08.2006 से 11.11.2006 तक एसजीआरवाई योजना के तहत राशि 2,16,000 रूपये स्वीकृत कर उक्त निर्माण कार्य पर 2,15,991 रूपये का कार्य करना दर्शाया जिसमें श्रम मद में नगद 48,586 रूपये, गेंहू 34.48 क्विंटल की राशि 16,205 रूपये व सामग्री मद में 1,51,200 रूपये व्यय होना दर्शाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा इस जोहड के पायतन निर्माण हेतु एसएफसी तृतीय योजना के तहत दो लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर श्रम मद में नगद 49,990 रूपये व सामग्री मद में 1,50,000 रूपये कुल 1,99,990 रूपये व्यय दर्शा कर दोनों कार्यों की राशि 4,15,981 रूपये का गबन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई। जबकि इस जोहड के बाहरी पायतन के क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के सरकारी क्वार्टर व चारदिवारी बनी हुई थी जिनको श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ने स्वयं के टैरक्टर पर लगी जेसीबी से तुड़वाकर उन ईटो को प्रोटेक्शन वाल निर्माण में काम में लिया गया। उक्त कार्य में सरपंच के परिवार के श्री देवरावल सिंह ने सहयोग किया। चारदिवारी निर्माण में शेष ईटें श्री हरीराम नायक के ईट भट्टे से घटिया स्तर की क्रय कर उनसे करवाया गया। उक्त क्वार्टर को तोड़ने पर निकली पट्टियां, दरवाजे, झरोखे व खिड़की आदि श्री रामनारायण जाट व श्री प्रभूराम माली ले गये। उक्त चारदिवारी का हल्के स्तर का चूना एवं मिट्टी ज्यादा मिलाकर निर्माण करवाया गया जिसके कारण प्रोटेक्शन वॉल व जोहड पायतन कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गये। दोनों कार्यों में लगे राशि व्यय के प्रमाण पत्र सरपंच श्रीमती दौलत कंवर के निजी व्यक्तियों के नाम से फर्जी जारी किये गये है जो एक ही व्यक्ति के हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से जारी है। जिन व्यक्तियों के नाम सामग्री बाउचर दर्शाये गये है वे व्यक्ति ना तो बजरी, कली, ग्रीट, ईटे या अन्य सामग्री बेचने का काम करते है ना ही इनकी कोई फर्म है। उक्त दोनों कार्यों में सरपंच द्वारा श्रमिकों के नाम से संधारित मस्टररोल में स्कूल में पढने वाले नाबालिग बच्चों के नाम लिख कर मस्टररोल पर फर्जी अगुंठे व हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू ने अपने पद का दुरुपयोग कर श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा, श्री सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन उप सरपंच ग्रा0पं0 साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा से आपस में मिलीभगत कर उक्त दोनों कार्यों के पेटे कुल 4,15,981 रूपये के फर्जी बिल बाउचर बनाकर राशि उठाकर राज्य सरकार अनुचित हानि एवं स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 13 (1) सी,डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 379, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह तत्का0 उप सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा की दिनांक 24.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है। अतः श्रीमती दौलत कंवर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू, श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू महोदय, निवेदन है कि प्राथमिक जांच संख्या 189/2013 की जांच से पाया गया कि श्रीमती दौलत कंवर वर्ष 2005 से 2010 तक ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू में सरपंच पद पर

कार्यरत रही है। सरपंच द्वारा राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विधालय साण्डवा के पास एक पक्के जोहड़ के प्रोटेक्शन वॉल 240 मीटर का निर्माण कार्य दिनांक 14.08.2006 से 11.11.2006 तक एसजीआरवाई योजना के तहत राशि 2,16,000 रुपये स्वीकृत कर उक्त निर्माण कार्य पर 2,15,991 रुपये का कार्य करना दर्शाया जिसमें श्रम मद में नगद 48,586 रुपये, गेहू 34.48 क्विंटल की राशि 16,205 रुपये व सामग्री मद में 1,51,200 रुपये व्यय होना दर्शाकर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया तथा इस जोहड़ के पायतन निर्माण हेतु एसएफसी तृतीय योजना के तहत दो लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर श्रम मद में नगद 49,990 रुपये व सामग्री मद में 1,50,000 रुपये कुल 1,99,990 रुपये व्यय दर्शा कर दोनों कार्यों की राशि 4,15,981 रुपये का गबन कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई गई। जबकि इस जोहड़ के बाहरी पायतन के क्षेत्र में पीएचईडी विभाग के सरकारी क्वार्टर व चारदिवारी बनी हुई थी जिनको श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ने स्वयं के टैरक्टर पर लगी जेसीबी से तुड़वाकर उन ईंटों को प्रोटेक्शन वाल निर्माण में काम में लिया गया। उक्त कार्य में सरपंच के परिवार के श्री देवरावल सिंह ने सहयोग किया। चारदिवारी निर्माण में शेष इंटें श्री हरीराम नायक के ईंट भट्टे से घटिया स्तर की क्रय कर उनसे करवाया गया। उक्त क्वार्टर को तोड़ने पर निकली पट्टियां, दरवाजे, झरोखे व खिड़की आदि श्री रामनारायण जाट व श्री प्रभूराम माली ले गये। उक्त चारदिवारी का हल्के स्तर का चूना एवं मिट्टी ज्यादा मिलाकर निर्माण करवाया गया जिसके कारण प्रोटेक्शन वॉल व जोहड़ पायतन कुछ ही दिनों में टूटकर बिखर गये। दोनों कार्यों में लगे राशि व्यय के प्रमाण पत्र सरपंच श्रीमती दौलत कंवर के निजी व्यक्तियों के नाम से फर्जी जारी किये गये है जो एक ही व्यक्ति के हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से जारी है। जिन व्यक्तियों के नाम सामग्री बाउचर दर्शाये गये है वे व्यक्ति ना तो बजरी, कली, ग्रीट, ईंट या अन्य सामग्री बेचने का काम करते है ना ही इनकी कोई फर्म है। उक्त दोनों कार्यों में सरपंच द्वारा श्रमिकों के नाम से संधारित मस्टररोल में स्कूल में पढने वाले नाबालिग बच्चों के नाम लिख कर मस्टररोल पर फर्जी अगुंठे व हस्ताक्षर किये गये है। इस प्रकार श्रीमती दौलत कंवर सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू ने अपने पद का दुरुपयोग कर श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा, श्री सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन उप सरपंच ग्रा0पं0 साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा से आपस में मिलीभगत कर उक्त दोनों कार्यों के पेटे कुल 4,15,981 रुपये के फर्जी बिल बाउचर बनाकर राशि उठाकर राज्य सरकार अनुचित हानि एवं स्वयं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 13 (1) सी,डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 379, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाता है। आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह तत्का0 उप सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा की दिनांक 24.01.2015 को मृत्यु हो चुकी है। अतः श्रीमती दौलत कंवर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू, श्री रामनारायण जाट निवासी भोमपुरा, श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम निवासी साण्डवा व श्री देवरावल सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी साण्डवा के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) सी,डी, 13 (2) पीसी एक्ट 1988 व धारा 379, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 बी भादस में आरोपीगण 1. श्रीमती दौलत कंवर पत्नी स्व. सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी साण्डवा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू 2 श्री रामनारायण पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी भोमपुरा ग्रा. पं. साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू 3. श्री प्रभूराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू 4. श्री देवरावल सिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी नरेश कुमार गेरा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 217 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 406-10 दिनांक 14.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2 उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 3 आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(P.E.189/2013)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): NARESH KUMAR Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): GERA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1962				
2	Male	1954				
3	Male	1975				
4	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)